कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Budget Section 0151-2226564, E-Mail- budgetele.edu@gmail.com

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/बजट/बी–1/2020–21/ दिनांक 04/05/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।

विषयः–पे–मेनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा में संशोधन के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 3666–4165 दिनांक 13.09.2019 एवं 8002 दिनांक 13.12.2019 द्वारा राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में जारी विस्तृत दिशा निर्देशों की पालना में आपको पूर्व में अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के डाटा का पे–मैनजेर पर जांच कर यदि उनमें कोई संशोधन अपेक्षित है तो स्वयं के स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त लॉगिन से अधिकृत कर इस विभाग को अन्तिम अधिकृति (Final Approval) हेतु अग्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थें।

विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाले डाटा संशोधन को विभाग द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है यह देखा गया है कि कई आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अपेक्षित संशोधित कराए जाने वाले डाटा को कार्मिक/डीडीओ लॉगिन से पै–मेनेजर पर ऑनलाईन फारवर्ड किये बिना ही पत्र के द्वारा निदेशालय से संशोधन हेतु कहा जा रहा है। ऑनलाईन रिक्वेस्ट प्राप्त हुए बिना वांछित संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होता है।

वित्त विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पै–मेनेजर/226–425 दिनांक 15.04.2020 द्वारा पै–मेनेजर पर संशोधन के मध्यनजर वेतन भुगतान माह अप्रेल देय माह मई 2020 में संशोधन कर संवेतन माह जून 2020 देय माह जुलाई 2020 किया गया हैं अतः वित्त विभाग के परिपत्र की पालना में पै–मेनेजर पर किये जाने वाले संशोधन को माह मई 2020 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण–वितरण अधिकारी जिनके सेवानिवृत्त कार्मिक/सेवारत कार्मिक के पै–मेनेजर पर जो भी संशोधन करवाये जाने है उन्हे पै–मेनेजर पर पहले कार्मिक/डीडीओ लॉगिन से करने के उपरान्त विभागाध्यक्ष को दिनांक 15.05.2020 तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि समस्त प्राप्त होने वाले संशोधनों को निदेशालय स्तर पर निर्धारित समय सीमा में Approve किया जा सकें। यदि 15.05.2020 तक कोई संशोधन अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त नहीं होते है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके स्तर पर अब कोई भी पै–मेनेजर पर संशोधन कराया जाना बकाया नहीं है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रावि/उप्रावि में कार्यरत शिक्षक/शैक्षणिक कार्मिक जिनका वेतन आहरण **पीईईओ द्वारा किया जा रहा है, उनका डाटा संशोधन का कार्य निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर** स्तर पर किया जा रहा है। अतः इनसे संबंधित पत्र व्यवहार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से किया जावें।

मुख्य लेखाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर/बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

www.rajteachers.com